



**प्रेस विज्ञप्ति**  
**दिनांक:- 19.04.2021**

# महोबा पुलिस

**सोशल मीडिया सेल**



## **फायर सर्विस टीम द्वारा किया गया सैनेटाइजेशन**



अनुपालन में कोविड-19 की रोकथाम हेतु निम्न जगहों पर सैनिटाइजेशन का कार्य किया गया।

1. जिला जज कार्यालय
2. अपर जिला जज कार्यालय
3. जिला बचत अधिकारी कार्यालय
4. जिला जज आवास
5. अपर जिला जज आवास
6. कचहरी परिसर
7. कुलपहाड़ बाजार आदि स्थानों को सैनिटाइज किया गया।



आज दिनांक 19.04.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए प्रभारी अग्निशमन अधिकारी एवं फायर सर्विस टीम द्वारा फायर सर्विस मुख्यालय के आदेशों के



**प्रेस विज्ञप्ति**  
**दिनांक:- 19.04.2021**

# महोबा पुलिस

**सोशल मीडिया सेल**



## **बैंक चेकिंग अभियान के तहत चेक किये गये बैंक एवं लोगो से कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करने की अपील**

आज दिनांक 19.04.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय, सीओ चरखारी श्री उमेश चन्द्र मय फोर्स के सर्किल क्षेत्र में पड़ने वाले बैंको की चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान सीसीटीवी कैमरे, फायर आलर्म आदि सुरक्षा उपकरणों को चेक किया गया। साथ ही कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए बैंक में आने वाले खाताधारको को मास्क लगाने, 02 गज की दूरी बनाकर बैंक सम्बन्धी काम करने को कहा गया। मुख्य बाजारो, धार्मिक स्थलों पर भी चेकिंग कर लोगो से मास्क पहनने, 02 गज की दूरी बनाये रखने को कहा गया, साथ ही हाथो को साबुन/पानी से धोने की सलाह दी गई। दुकानदारो से बिना मास्क वाले ग्राहको को सामान न देने को कहा गया एवं दुकान पर भी सभी लोग मास्क लगाये एवं आने वाले ग्राहको के हाथों को सैनिटाइज कराये।





**प्रेस विज्ञप्ति**  
**दिनांक:- 19.04.2021**

# महोबा पुलिस

**सोशल मीडिया सेल**



**जनपदीय पुलिस द्वारा लोगो को कोविड-19 के प्रति किया गया जागरूक एवं नियमों के उल्लंघन पर किये गये चालान**

सैनिटाइजर रखे एवं मास्क का प्रयोग करें। नियमों का उल्लंघन करने पर 37 ई-चालान, 01 वाहन सीज एवं 60 व्यक्तियों से 12300/-रु० शमन शुल्क वसूला गया।



आज दिनांक 19.04.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में जनपदीय पुलिस द्वारा लोगो को "02 गज की दूरी मास्क है जरूरी" एवं मास्क का प्रयोग करने व समय-समय पर अपने हाथों को साबुन/सैनिटाइजर से धोने की अपील की गई। सभी दुकानदारों से अपने यहाँ आने वाले ग्राहकों को बिना मास्क के कोई भी सामान न दे, एवं स्वयं दुकान पर

